



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 2947/अका./का.प/2020

रायपुर, दिनांक 24/06/2020

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बावनवीं बैठक बुधवार दिनांक 24.06.2020 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा	– सदस्य	8. डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	– सदस्य
2. डॉ. एस.के. जाधव	– सदस्य	9. डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य
3. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा	– सदस्य	10. डॉ. समीर ठाकुर	– सदस्य
4. डॉ. कल्लोल कुमार घोष	– सदस्य	11. श्री अतीश पाण्डेय	– सदस्य
5. डॉ. प्रोमिला सिंह	– सदस्य	12. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	– सदस्य	13. श्री द्वारिकाधीश यादव	– सदस्य
7. डॉ. चन्द्र शेखर चौबे	– सदस्य	14. श्री डमरूधर पुजारी	– सदस्य

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.03.2020 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : संपुष्टि की गई।
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 25.03.2020 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

जैविकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. SERB परियोजना के अंतर्गत जैविकी अध्ययनशाला के लिए उपकरण क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए-14,07,000/- (अक्षरी रुपए-चौदह लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।
निर्णय: SERB परियोजना के अंतर्गत जैविकी अध्ययनशाला के लिए उपकरण Proprietary instrument जिसे Metro auto lab B.V. The Neatherlands से क्रय किए जाने हेतु राशि रुपए-14,07,000/- (अक्षरी रुपए-चौदह लाख सात हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

मूलविज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. मूलविज्ञान केंद्र हेतु उपकरण क्रय किए जाने के लिए राशि रुपए-13,92,865/- (तेरह लाख बियानबे हजार आठ सौ पैसठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।
निर्णय: मूलविज्ञान केंद्र हेतु L1 दर के आधार पर Osaw Industrial, Pvt. Ltd., Ambala व INSIF India, 2817, Iqbal Ganj Road, Ambala, Haryana से उपकरण क्रय किए जाने के लिए राशि रुपए-13,92,865/- (तेरह लाख बियानबे हजार आठ सौ पैसठ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. मेसर्स आदर्श किराया भण्डार के देयक राशि के भुगतान हेतु राशि रूपए-12,15,525/- (अक्षरी रूपए-बारह लाख पंद्रह हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय :मेसर्स आदर्श किराया भण्डार के देयक राशि के भुगतान हेतु राशि रूपए-12,15,525/- (अक्षरी रूपए-बारह लाख पंद्रह हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) भुगतान किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. डॉ. (श्रीमती) स्मिता शर्मा, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी-मूलविज्ञान केंद्र, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके पद पर स्थायीकरण किए जाने पर विचार करना।

निर्णय: डॉ. श्रीमती स्मिता शर्मा की नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी के पद पर माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण क्रमांक 447/2017,1976/2017,1687/2017 पर पारित निर्णय दिनांक 16.08.2017 के अनुसार माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्याधीन, उनके पद पर दिनांक 28.08.2019 से स्थायीकरण किए जाने का अनुमोदन किया गया।

7. 'सृजनशील विदुषी समिति' पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर के निर्माण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: 'सृजनशील विदुषी समिति' पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर के गठन की सूचना ग्रहण की गई और विश्वविद्यालय की ओर से राशि रु. 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र) का सहयोग राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया।

8. डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि के संबंध में।

निर्णय: डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके आवेदन दिनांक 15.06.2020 के अनुक्रम में दिनांक 25.07.2020 से 24.10.2020 तक 03 माह के धारणाधिकार की अवधि में वृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय मानव विकास संसाधन केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 07.03.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: HRDC की Academic Advisory Committee की बैठक दिनांक 07.03.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. UGC 12th Plan के अंतर्गत राशि से रसायन अध्ययनशाला हेतु क्रय की गई सामग्री An 1800 Watt CEM iWave Microwave digestion System Model MARS 6 iWave 240V/50 Hz., Rs. 20,79,000/- (बीस लाख उन्चासी हजार रूपए मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :UGC 12th Plan के अंतर्गत राशि से रसायन अध्ययनशाला हेतु क्रय की गई सामग्री An 1800 Watt CEM iWave Microwave digestion System Model MARS 6 iWave 240V/50 Hz., Rs. 20,79,000/- (बीस लाख उन्चासी हजार रूपए मात्र) की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव

11. केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य मनोनीत करने के संबंध में विचार करना।
निर्णय: केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यपरिषद् की ओर से एक सदस्य डॉ. कल्लोल कुमार घोष, सदस्य कार्यपरिषद्, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के नाम का अनुमोदन किया गया।

पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार से संबंधित प्रस्ताव

12. पुस्तक क्रय देयक राशि रु. 7,72,522/- (सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ बाईस रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: पुस्तक क्रय देयक राशि रु. 7,72,522/- (सात लाख बहत्तर हजार पाँच सौ बाईस रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

गोपनीय विभाग से संबंधित प्रस्ताव

13. नोडल मूल्यांकन केंद्र/केंद्रीय मूल्यांकन इकाई 2020, अग्रिम राशि रु. 65,10,000/- (पैंसठ लाख दस हजार रुपए मात्र) (अंतिम किस्त) के संबंध में विचार करना।
निर्णय: नोडल मूल्यांकन केंद्र/केंद्रीय मूल्यांकन इकाई 2020, अग्रिम राशि रु. 65,10,000/- (पैंसठ लाख दस हजार रुपए मात्र) (अंतिम किस्त) प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव

14. श्री बृजलाल पटेल, पूर्व लैब टेक्नीशियन, भूगोल अध्ययनशाला के सी.पी.एफ. की कुल राशि रु. 5,57,043/- (पाँच लाख संतावन हजार तिरालीस रुपए मात्र) के लिए गए भुगतान की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: श्री बृजलाल पटेल, पूर्व लैब टेक्नीशियन, भूगोल अध्ययनशाला के सी.पी.एफ. की कुल राशि रु. 5,57,043/- (पाँच लाख संतावन हजार तिरालीस रुपए मात्र) के लिए गए भुगतान की सूचना ग्रहण की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 22.06.2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2019-20 का देयक (GST सहित) राशि रु. 2,11,83,431/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार चार सौ इकत्तीस रुपए मात्र) एजेंसी को भुगतान के संबंध में विचार करना।
निर्णय : वार्षिक परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2019-20 का देयक (GST सहित) राशि रु. 2,11,83,431/- (दो करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार चार सौ इकत्तीस रुपए मात्र) एजेंसी को भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

3. कूलर क्रय देयक राशि रु. 7,36,260/- (सात लाख छत्तीस हजार दो सौ साठ रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: कूलर क्रय देयक राशि रु. 7,36,260/- (सात लाख छत्तीस हजार दो सौ साठ रुपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. UGC- XII Plan equipment head के अंतर्गत रसायन विभाग द्वारा Refrigerated Centrifuge System- INN. No. 302/19-20/dated 18-03-2020 राशि रु. 6,56,250/- (छः लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रुपए मात्र) क्रय की गई उपकरण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
निर्णय: UGC- XII Plan equipment head के अंतर्गत रसायन विभाग द्वारा Refrigerated Centrifuge System- INN. No. 302/19-20/dated 18-03-2020 राशि रु. 6,56,250/- (छः लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रुपए मात्र) क्रय की गई उपकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।


विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-


5. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन अवधि एवं स्वत्वों की भुगतान के संबंध में विचार करना।
निर्णय: माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय दिनांक 30.01.2019 एवं अवमानना याचिका क्रमांक 625/2019 एवं 737/2019 के परिप्रेक्ष्य में डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के निलंबन अवधि दिनांक 24.08.2017 से 30.03.2018 तक को पेंशन प्रकरण हेतु सेवाकाल मान्य करते हुए निलंबन अवधि के निर्वाह भत्ता के अलावा अतिरिक्त वेतन नहीं दिए जाने तथा उनके सेवानिवृत्ति स्वत्वों के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. कु. ज्योति साहू UGC-NFO-2018-19 OBC JRF भूगोल को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति एवं मकान भाड़ा भत्ता राशि रु. 6,56,700/- (छः लाख छप्पन हजार सात सौ रुपए मात्र) भुगतान के संबंध में विचार करना।
निर्णय: कु. ज्योति साहू UGC-NFO-2018-19 OBC JRF भूगोल को कनिष्ठ अध्येतावृत्ति एवं मकान भाड़ा भत्ता राशि रु. 6,56,700/- (छः लाख छप्पन हजार सात सौ रुपए मात्र) भुगतान किए जाने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 294 B / अका. / का.प / 2020

रायपुर, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)